

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम - बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर - 41/2024
किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र
बायर दिनांक - 05.04.2024
निर्णय दिनांक - 21.01.2025

अनवान

1. धनश्याम पुत्र रामलाल ब्राह्मण निवासी मुण्डोल तहसील व जिला राजसमन्द।

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजसमन्द।

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी कराने बाबत अन्तर्गत धारा 128 मू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

अधिवक्ता प्रार्थी - श्री शेषमल गाडरी
विपक्षी - परोकार राज

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 मू राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी कराने बाबत पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी संख्या 194 कुल किता 1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त कर रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात के पडौसी भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है और प्रार्थी की भूमि में नुकसान पहुँचाते है। प्रार्थी इन रोजमर्रा के विवादो से व अपनी भूमि में आये दिन होने वाले नुकसान से निजात चाहता है और इस हेतु वह अपनी भूमि के चारो ओर कोट (चारदिवारी) बना उसकी समुचित सुरक्षा करना चाहता है परन्तु सीमाओ पर स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से प्रार्थी के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं हो रहा है और इसके चलते प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। यही नहीं प्रार्थी की भूमि में पैदा होने वाली फसल को भी नीलगायो द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है जिससे बचाव हेतु भी भूमि के चारो ओर पत्थरो का कोट बनाया जाना आवश्यक है। भूमि की सीमाओ पर कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं है इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त वादग्रस्त आराजीयात के चारो दिशाओ की सीमाओ पर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी इस हेतु नियमानुसार शुल्क भी जमा कराने के लिए तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व उक्त वर्णित आराजीयात की चारो दिशाओ की पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। विपक्षी की ओर से परोकार सरकार ने उपस्थिति दी। परोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया कि प्रकरण में समस्त पडौसियों को पक्षकार बनाया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौरान बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील राजसमन्द मे स्थित आराजी संख्या 194 कुल किता 1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थी आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम सनवाड की जमाबन्दी सम्वत 2077-2077 की खाता संख्या 111 अनुसार आराजी संख्या 194 कुल किता 1 रकबा 0.1052 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी घनश्याम पुत्र रामलाल ब्राह्मण व अन्य 1 लगायत 17 की सहखातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की एकल खातेदारी की भूमि नहीं होकर सहखातेदारी की है। सहखातेदार होने की स्थिति में पत्थरगढी कराये जाने हेतु यह आवश्यक है कि सम्बन्धित खाते के सभी सहखातेदार पत्थरगढी हेतु आवेदन करे। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह भी जाहिर आया है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन अंकित किया है कि पडौसी भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद करते रहते हैं और प्रार्थी की भूमि में नुकसान पहुँचाते हैं किन्तु प्रार्थी ने यह अंकित नहीं किया है कि वे किस आराजी की किस सीमा के पडौसी हैं जो विवाद करते हैं, न ही किसी पडौसी का नाम प्रार्थना पत्र में अंकित किया है, न ही ऐसे किसी पडौसी खातेदार को प्रकरण में पक्षकार बनाया है। उपरोक्तानुसार तथ्यों का विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।


आदेश


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनिम 1956 बाबत् पत्थरगढी खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उक्त आदेश आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गाल मोहर से जारी किया गया।


बृजेश कुमार (सि.क.ए.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमंद